To Be Substitued by same No. and Date

कार्यालय : रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त, गुरुग्राम

नोटिस

दिनांक 01.09.2017

हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 22 में दिये गये प्रावधान के अनुसार एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नगर निगम गुरुग्राम के सभी 35 वार्डों के चुनाव के लिये दिनांक 08.09.2017 (शुक्रवार) से 13.09.2017 (बुधवार) तक (दिनांक 10.09.2017 को छोड़कर) निम्नलिखित सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा उनके कार्यालय में नामांकन पत्र प्रातः 11:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक लिये जायेंगे।

क्र. स.	सहायक रिटरनिंग अधिकारी का पद/नाम	नमांकन पत्र दाखिल करने का निर्धारित स्थान	नगर निगम का वार्ड न0 जिसके नामांकन पत्र पत्र लिये जाने हैं।
1	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, गुरुग्राम	कार्यालय द्वितीय तल, कमरा न0 205 लघु सचिवालय, गुरुग्राम	1 से 3
2	उपमण्डल अधिकारी (ना0), उत्तर गुरुग्राम।	कार्यालय उप-मण्डल अधिकारी (ना0) गुरुग्राम-उत्तर, भूतल, लघु सचिवालय गुरुग्राम।	4 से 6 तक
3	उपमण्डल अधिकारी (ना0), पटौदी।	कमरा न0 107, प्रथम तल, लघु सचिवालय, गुरुग्राम।	7 से 9 तक
4	तहसीलदार (माल) गुरुग्राम	तहसील कोर्ट कार्यालय प्रथम तल, लघु सचिवालय गुरुग्राम	10 से 12 तक
5	क्षेत्रीय प्रशासक मार्किटिंग बोर्ड, गुरुग्राम	अतिरिक्त श्रम आयुक्त, कार्यालय पंचायत भवन गुरुग्राम।	13 से 15 तक
6	नायब तहसीलदार कादीपुर	उप तहसील कार्यालय, कम्यूनिटी सेन्टर कादीपुर	16 से 18 तक
7	जिला राजस्व अधिकारी, गुरुग्राम	कार्यालय कमरा न0 209 द्वितीय तल लघु सचिवालय गुरुग्राम	19 से 21 तक
8	नायब तहसीलदार बादशाहपुर	कार्यालय उप तहसील बादशाहपुर हॉल न0 2 प्रथम तल, लघु सचिवालय गुरुग्राम।	22 से 24 तक
9	उपमण्डल अधिकारी (ना0), दक्षिण गुरुग्राम	कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0), दक्षिण गुरुग्राम विकास सदन, गुरुग्राम	25 से 27 तक
10	महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य परिवहन, गुरुग्राम।	कार्यालय हरियाणा राज्य परिवहन, गुरुग्राम।	28 से 30 तक
11	नायब तहसीलदार वजीराबाद।	कार्यालय उप तहसील वजीराबाद सैक्टर-56, नियर हूडा मार्किट, गुरुग्राम।	31 से 32 तक
12	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद गुरुग्राम।	कार्यालय जिला परिषद सिविल लाईन गुरुग्राम।	33 से 35 तक

2. नामांकन पत्रों की छानबीन दिनांक 14.09.2017 वीरवार को प्रातः 11:30 बजे से लगातार समाप्ति तक रिटरनिंग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त, गुरुग्राम द्वारा उपायुक्त कोर्ट प्रथम तल लघु सचिवालय गुरुग्राम में की जायेगी।

3. उम्मीदवार दिनांक 14.09.2017 को प्रातः 11:00 बजे से पहले निर्धारित प्रारुप में सम्बंधित सहायक रिटरनिंग अधिकारी को यह सूचना दे सकेगा कि वह किसी भी कारण से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं है।

4. उम्मीदवारों द्वारा उम्मीदवारी/नामांकन पत्र दिनांक 15.09.2017 शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक वापिस लिये जा सकते है।

5. उम्मदवारों को चुनाव चिन्ह दिनांक 15.09.2017 शुक्रवार को सांय 03:00 बजे के पश्चात रिटरनिंग अधिकारी द्वारा उपायुक्त कोर्ट, प्रथम तल लघु सचिवालय गुरुग्राम मे आवंटित किये जायेगें।

6. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारो की सूचि दिनांक 15.09.2017 (शुक्रवार) को सहायक रिटनिंग अधिकारियों द्वारा मुख्य–2 स्थानों पर चस्पा की जायेगी ।

7. मतदान केन्द्रों की सूचि रिटनिंग अधिकारी द्वारा दिनांक 15.09.2017 (शुक्रवार) को मुख्य स्थानो पर चस्पा की जायेगी ।

8. मतदान दिनांक 24.09.2017 (रविवार) को प्रातः 7:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक किया जायेगा ।

9. डाले गये मतो की गणना मतदान समाप्त होने के तुरन्त बाद उसी मतदान केन्द्र पर की जायेगी ।

10. मतगणना समाप्ति के उपरान्त रिटनिंग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त गुरूग्राम द्वारा उपायुक्त कोर्ट प्रथम तल लघु सचिवालय गुरुग्राम मे चुनाव परिणाम की घोषणा की जायेगी।

स्थानः– गुरुग्राम।

दिनांक 01.09.2017

P. K. Dahiya

(प्रदीप दहिया) आई.ए.एस

रिटरनिंग अधिकारी एवं

अतिरिक्त उपायुक्त गुरुग्राम।

पृ0क्रमांक – चुनाव/2017/ 291 – 306 दिनांक 1.9.17

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:–

1. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, पंचकूला को उनकी अधिसूचना न0 एस0ई0सी0/1एम0ई0/2017/1508 दिनांक 30.08.2017 के सन्दर्भ मे ।
2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा चण्डीगढ़।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय हरियाणा पंचकूला ।
4. आयुक्त नगर निगम, गुरुग्राम।
5. उपायुक्त, गुरुग्राम।
6. सभी सहायक रिटरनिंग अधिकारी, नगर निगम गुरुग्राम।
7. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, गुरुग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि वह उक्त चुनाव कार्यक्रम का नगर निगम गुरुग्राम के क्षेत्र विस्तृत प्रचार प्रसार करवाये और स्थानीय/राष्ट्रीय अखबारों मे मोटे अक्षरों मे ऐसे स्थान पर जहा पर जनता की अधिक से अधिक नजर पड़े छपवाया जाये ताकि जनसाधारण को इसकी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सकें।
8. सभी संयुक्त आयुक्त, नगर निगम गुरुग्राम को नोटिस चस्पा करने तथा चुनाव कार्यक्रम विस्तृत प्रचार/प्रसार करवाने हेतू भेजी जाती है
9. तहसीलदार, गुरुग्राम को भेजकर लिखा जाता है कि वह नोटिस को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाये और विस्तृत प्रचार/प्रसार करवाये।

P. K. Dahiya

(प्रदीप दहिया) आई.ए.एस

रिटरनिंग अधिकारी एवं

अतिरिक्त उपायुक्त गुरुग्राम।